

राजस्थान सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
सुभाष नगर, शास्त्री नगर, जयपुर

क्रमांक :एफ.1(3)विप्रौ / संस्था / 2013 /

दिनांक :

कार्यालय आदेश

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अनुसरण में कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीडन की घटनाओं की रोकथाम हेतु विभागीय शिकायत समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:—

- | | |
|--|--------------------|
| 1. डॉ साधना माथुर
परियोजना निदेशक
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर | अध्यक्ष |
| 2. डॉ संगीता पोसवाल
उपनिदेशक (आयोजना)
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर | सदस्य सचिव |
| 3. श्री राजेश गर्ग
उपनिदेशक
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर | सदस्य |
| 4. मृदुला चंद्रा
सचिव, हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट रिसर्च सेन्टर,
B-130, सेठी कॉलोनी, जयपुर | सदस्य (गैर शासकीय) |
| 5. श्री अरविन्द सामरिया
सहायक निदेशक
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर | सदस्य |

(आयुक्त)

क्रमांक :एफ.1(3)विप्रौ / संस्था / 2013 /
प्रतिलिपि :-

दिनांक :

1. सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, लालकोठी, जयपुर
2. आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग, J-7 JIA, जयपुर
3. अध्यक्ष / सदस्य सचिव / सदस्य शिकायत समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर ।

RajKaj Ref
12238793



Signature valid

Digitally signed by V Saravana Kumar
Designation : Secretary To
Government
Date: 2024.12.05 17:22:20 IST
Reason: Approved



स्टेट रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
राजस्थान सरकार

क्रमांक : फा.65 / सरसेक / संस्था / 2025 / 326

दिनांक :- 27/01/25

कार्यालय आदेश

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अनुसरण में कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम हेतु सरसेक व क्षेत्रीय कार्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जोधपुर की शिकायत समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:-

1. सुश्री रचना पुरोहित
अनुसंधान अधिकारी
सरसेक, जोधपुर। अध्यक्ष
2. श्रीमती आभा राघव
प्रोग्रामर
सरसेक, जोधपुर। सदस्य सचिव
3. श्री नरेश कुमार
ए.सी.पी. (उपनिदेशक)
सरसेक, जोधपुर। सदस्य
4. सुमन अरोड़ा
प्रशिक्षक (आर्ट ऑफ लिविंग)
जी.177 सेक्टर, शास्त्री नगर, जोधपुर। सदस्य (गैर शासकीय)
5. श्री विमल किशोर भाटी,
अतिरिक्त निजी सचिव,
सरसेक, जोधपुर। सदस्य

यह समिति विभाग में यौन उत्पीड़न की शिकार कामकाजी महिलाओं की शिकायतों का निवारण/ क्षतिपूर्ति से सम्बंधित निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी-

- सभी शिकायतों को एक स्थायी रजिस्टर में अंकित कर उसका लेखा-जोखा रखना।
- प्रत्येक शिकायत के निवारण सम्बंधी विवरण को संक्षेप में रजिस्टर में अंकित करना।
- प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना।

परियोजना निदेशक
एवं पदेन उप सचिव
दिनांक :- 27/1/25

क्रमांक : फा.65 / सरसेक / संस्था / 2025 / 327-33

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, लालकोठी, जयपुर।
2. आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग, J-7 JIA, जयपुर।
3. आयुक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
4. परियोजना अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जोधपुर।
5. अध्यक्ष/सदस्य सचिव/सदस्य शिकायत समिति, सरसेक, जोधपुर।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Rajeev Jain
Designation: Additional Director
Date: 2025.01.27 17:17:17
Reason: Approved एवं पदेन उप सचिव



जी.एस.टी. नं.: 08JDHP01997C100 दिनांक: 24-11-2017

सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान - 342008

फोन नं.: 0291-2785105, 2786480 फेक्स: 0291-2785531 ई.मेल: srsac.jod@rajasthan.gov.in

Re: Regrading Sexual harassments at work place

DSTBIKANER@RAJASTHAN.GOV.IN

Mon 27-01-2025 03:23 PM

To: director-dst@rajasthan.gov.in <director-dst@rajasthan.gov.in>; kotadst@gmail.com <kotadst@gmail.com>; udaipurdst@gmail.com <udaipurdst@gmail.com>; dstjodhpur@gmail.com <dstjodhpur@gmail.com>; SRSAC.JOD@RAJASTHAN.GOV.IN <SRSAC.JOD@RAJASTHAN.GOV.IN>;

Sir/Ma'am,

As per the Sexual Harassment of Women at Workplace(Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 and discussion with Directorate of Women Empowerment, Jaipur committee should be formed where staff count is more than 10 person.

Thanks & Regards,
RO, DST, Regional Office Bikaner

From: director-dst@rajasthan.gov.in

Sent: 27 January 2025 11:40:10

To: kotadst@gmail.com; udaipurdst@gmail.com; DSTBIKANER@RAJASTHAN.GOV.IN; dstjodhpur@gmail.com; SRSAC.JOD@RAJASTHAN.GOV.IN

Subject: Regrading Sexual harassments at work place

Sir,

Please find the attachment

**Science & Technology Department,
Subhash Nagar, Shastri Nagar, Jaipur
Pincode-302016**

Regrading Sexual harassments at work place

DST KOTA <kotadst@gmail.com>

Mon 27-01-2025 06:59 PM

To:director-dst@rajasthan.gov.in <director-dst@rajasthan.gov.in>;

Sir/Ma'am,

As per the Sexual Harassment of Women at Workplace(Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 and discussion with Directorate of Women Empowerment, Jaipur committee should be formed where staff count is more than 10 person.

Regards
Vikas Sharma
Assistant Director

Regional office, DST, Bharatpur

Dr. Arvind Singh Choudhary <arvindbecs@gmail.com>

Wed 29-01-2025 01:04 PM

To:director-dst@rajasthan.gov.in <director-dst@rajasthan.gov.in>;

Respected sir,

Total number of employees at regional office, DST, Bharatpur is one. So, no sexual harassment committee is required at this place.

Dr. Arvind Choudhary
Regional Officer,
DST, Bharatpur

With Warm Regards,

Dr. Arvind Singh Choudhary

Assistant Professor (Senior Scale)

B. Tech, M. Tech, Ph. D

Department of Computer Science & Engineering

Govt. Engineering College, Bharatpur (Raj)

9460117966, 8619498185

राजस्थान सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
क्षेत्रीय कार्यालय, चित्रकुटनगर, भुवाणा, उदयपुर

क्रमांक प 1(4)/विप्रौउ/संस्था/2021/193

दिनांक : 27.01.2025

परियोजना निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

जयपुर।

विषय :- महिलाओं का कार्यास्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष)
अधिनियम, 2013 की अनुपालना संबंधी।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि इस कार्यालय में कुल स्थाई कर्मचारियों की संख्या 06 है जिसमें से मात्र 03 पदों पर पुरुष कर्मचारी नियुक्त हैं व 03 पद रिक्त है। अतः इस कार्यालय में एक भी पद पर महिला कर्मचारी नियुक्त नहीं होने से महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया है।

अतः सूचनार्थ प्रेषित है।



(मनीष जैन)

परियोजना अधिकारी